बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– ह0क0सह0–(यो0/हैण्डलूम मार्क/वूल मार्क)–01/2017/4661 पटना, दिनांक– 27-10-18

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

विषय– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के सभी यू0आई0डी0 उत्कीर्ण हस्तकरघा के धारक बुनकरों एवं प्राथमिक बुनकर सहयेाग समितियों/क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ को हैण्डलूम मार्क से निबंधित कराते हुए हैण्डलूम मार्क लेबल उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजना मद से ₹ 15.00 (पन्द्रह) लाख मात्र की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के सभी यू0आई0डी0 उत्कीर्ण हस्तकरघा के धारक बुनकरों एवं प्राथमिक बुनकर सहयेाग समितियों/क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ को हैण्डलूम मार्क से निबंधित कराते हुए हैण्डलूम मार्क लेबल उपलब्ध कराने हेतु ₹ 15.00 (पन्द्रह) लाख मात्र की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. हैण्डलूम मार्क न केवल हाथ से बने वस्त्रों को लोकप्रिय करने में बल्कि खरीददार के लिए इस बात की गारंटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो उत्पाद वह खरीद रहा है वह वास्तव में हाथ से बुना गया है। इस मार्क से उत्पाद एवं निर्माता के नाम की स्पष्ट पहचान होगी। इस प्रकार हस्तकरघा उत्पादों की नकल रोक कर हस्तकरघा बुनकरों एवं प्राथमिक बुनकर सहयेाग समितियों/क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ के हितों की रक्षा की जा सकेगी। बुनकरों एवं प्राथमिक बुनकर सहयेाग समिति/क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ को विभिन्न एक्सपो/प्रदर्शनी/मेला में भाग लेकर विपणन सुविधा का लाभ उठाने के उद्देश्य से उन्हें हैण्डलूम मार्क से निबंधित कराते हुए हैण्डलूम मार्क लेबल उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है।

3. इस योजना का कार्यान्वयन अभिकरण अनुसूची– 'क' के अनुसार होंगे।

4. योजनान्तर्गत आवेदन पूर्ण रूप से भरवा कर अनुलग्नको सहित प्राप्त करने का कार्य कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा संबंधित जिला में कार्यरत ऐसे प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों से कराया जायगा जो विगत दो वर्षों से लाभ में रहे हों। जिनका चयन बिहार वित्त नियमावली के आलोक में कार्यान्वयन अभिकरण करेंगे।

5. उक्त चयनित समिति संबंधित जिला में यू0आई0डी0 उत्कीर्ण हस्तकरघा के धारक बुनकरों/प्राथमिक बुनकर सहयेाग समिति/क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ से आवेदन विहित प्रपत्र में पूर्ण प्रविष्टि कराकर एवं आवश्यक अनुलग्नको के साथ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे जो इन आवेदन पत्रों को बुनकर सेवा केन्द्र, भागलपुर को भेजेंगे। आवेदन पत्र पर यू0आई0डी0 भी अंकित करना होगा। बुनकर सेवा केन्द्र, भागलपुर से अनुशंसा प्राप्त होने पर वस्त्र समिति, वाराणसी इसकी सूची हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे। प्राप्त आवेदनों का निबंधन शुल्क/हैण्डलूम मार्क लेबल शुल्क हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय द्वारा वस्त्र समिति, वाराणसी (वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार) को भेजा जाएगा।

(i) कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन भरवा कर प्राप्त करने में एवं इसपर होने वाले अन्य व्यय सहित अधिकतम 50/– रूपये प्रति बुनकर/समिति/संघ पर व्यय किया जायगा। किसी हालत में 50/– रूपये प्रति बुनकर/समिति/संघ से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा।

(ii) निबंधन शुल्क एवं हैण्डलूम लेबल शुल्क का भुगतान वस्त्र समिति को करने संबंधी एवं इससे संबंधी अन्य राशि का व्यय निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना के निदेशानुसार वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना करेंगे।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो इसकी समीक्षा, अनुश्रवण तथा स्थल निरीक्षण करेंगे।

7. स्वीकृत राशि का व्यय बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष– 00, लघु शीर्ष– 103 – हथकरघा उद्योग, माँग संख्या– 23, उपशीर्ष– 0103 – हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड–23–2851001030103, विषय शीर्ष– 0103.33.01 सब्सिडी मद से विकलित होगा, जिसके लिए आय–व्ययक 2018–19 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

8. स्वीकृत ₹ 15.00 (पन्द्रह) लाख का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संलग्न अनुसूची 'क' के अनुसार महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा/नवादा/गया/पटना/सिवान/मधुबनी/औरंगाबाद/कैमूर/रोहतास/भागलपुर/बांका/प0 चम्पारण/मुजफ्फरपुर एवं वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की अग्रिम निकासी विपत्र BTC-26 पर आवंटन के आधार पर संबंधित जिला कोषागार/सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे। वरीय लेखा पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना के पदनाम से संधारित बैंक खाता में रखा जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्य सम्पादन एवं राशि के व्यय के पश्चात् सार विपत्र BTC-26 पर निकासी की गई राशि का डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर BTC-27A पर ससमय महालेखाकार, बिहार, पटना को समर्पित करेंगे तथा इसकी सूचना निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम को उपलब्ध करायेंगे। "बिहार कोषागार संहिता के नियम 194(i) के अनुसार BTC-26 यानि संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (AC Bill) से आहरित राशि हेतु विस्तृत विपत्र (DC Bill) की प्रस्तुति में कोषागार से संक्षिप्त विपत्र के निकासी करने की तिथि से 6 महीने से अधिक का विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। इस अवधि के बाद तब तक कोई भी संक्षिप्त विपत्र नहीं भुनाया जा सकेगा, जब तक इन नियमों के अनुरूप विस्तृत विपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता"।

9. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या ह0क0सह0–(यो0/हैण्डलूम मार्क/वूल मार्क)–01/2017 के पृष्ठ 49/टि0 पर दिनांक 12.10.2018 को प्राप्त है।

10. यह राज्यादेश संचिका संख्या ह0क0सह0–(यो0/हैण्डलूम मार्क/वूल मार्क)–01/2017 के पृष्ठ 52/टि0 पर दिनांक 23.10.2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है, जिसका डायरी संख्या– 24/IFA दिनांक 23.10.2018 है।

11. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

12. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि0 (2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0/हैण्डलूम मार्क/वूल मार्क)–01/2017/ 4661 पटना, दिनांक– 27-10-18

प्रतिलिपि–संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/नवादा/गया/पटना/सिवान/मधुबनी/औरंगाबाद/कैमूर/रोहतास/भागलपुर/बांका/प0 चम्पारण/मुजफ्फरपुर एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0/हैण्डलूम मार्क/वूल मार्क)–01/2017/ 4661 पटना, दिनांक– 27-10-18
प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा–1(स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को पाँच प्रतियों मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0/हैण्डलूम मार्क/वूल मार्क)–01/2017/ 4661 पटना, दिनांक– 27-10-18
प्रतिलिपि– सभी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में/अन्य सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), गया, भागलपुर/सहायक निबंधक, बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना/दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ, भागलपुर/बिहारशरीफ/मधुबनी/ सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0/हैण्डलूम मार्क/वूल मार्क)–01/2017/ 4661 पटना, दिनांक– 27-10-18
प्रतिलिपि– सचिव, वस्त्र समिति, पी0बालू रोड, दूसरी मंजिल, प्रभादेवी चौक, प्रभा देवी, मुम्बई– 400025/प्रभारी पदाधिकारी, वस्त्र समिति का क्षेत्रीय कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, 52, पटेलनगर, प्रथम तल्ला, मिन्ट हाउस, नदेसर, वाराणसी–221002/प्रभारी पदाधिकारी, बुनकर सेवा केन्द्र, कंचनगढ़, बरारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0/हैण्डलूम मार्क/वूल मार्क)–01/2017/ 4661 पटना, दिनांक– 27-10-18
प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची– 'क'

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्यान्तर्गत यू0आई0डी0 उत्कीर्ण हस्तकरघा धारक बुनकर/प्राथमिक बुनकर सहयेाग समिति/क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ को हैण्डलूम मार्क से निबंधित करने एवं हैण्डलूम मार्क लेबल उपलब्ध कराने संबंधी योजना।

राशि का जिलावार आवंटन की सूची–

क्र0 सं0	जिला का नाम	आवंटित राशि (लाख में)	कार्यान्वयन अभिकरण एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
1.	नालन्दा	0.11	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा
2.	नवादा	0.17	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा
3.	गया	0.31	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया
4.	पटना	0.24	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना
5.	सिवान	0.08	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान
6.	मधुबनी	0.08	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी
7.	औरंगाबाद	0.29	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद
8.	कैमूर	0.12	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर
9.	रोहतास	0.36	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास
10.	भागलपुर	1.27	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर
11.	बांका	0.51	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका
12.	प0 चम्पारण	0.03	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, प0 चम्पारण
13.	मुजफ्फरपुर	0.02	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर
14.	मुख्यालय (हैण्डलूम मार्क का निबंधन एवं लेबल शुल्क, अनुश्रवण तथा अन्य)	11.41	वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना
	कुल	**15.00**	

सरकार के अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।